

प्रसारण गाँवों के नाम अभियान 2021

रिपोर्ट पटवारी हलका/आडोएल03आर0

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार
 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का परामर्श, प्रमाणित एवं
 वास्तविक प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थी का नाम देवीलैंड पुत्र सरदार
 के (पत्नी पर देवीलैंड पुत्र सरदार) किया जाकर उचित होगा

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागोंडजी

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को पत्रित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाने की अधिशंका की जाती है / नहीं की जाती है।

उक्त प्रमाणित है

23/11/2021

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागोंडजी
 उदयपुरवाटी (अनुसूची)

1526
 23/11/21

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला बुधुनू (राज.)
 :- आदेश :-

दिनांक :- 23/11/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागोंडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निर्मांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नालिखित रूप से सुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागोंडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमावन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
01	पारप	2075-78	198	देवीलैंड पुत्र सरदार	देवीलैंड पुत्र सरदारसिंह

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक - 23/11/21

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 1201-1202
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागोंडजी को वास्तो पालनाथ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी